बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक :- 5582258 दिनांक :- 12/05/26

ग्रा0वि0-04/भू-अर्जन-01-35/2026

प्रेषक,

मन्जु प्रसाद

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

समाहर्त्ता,

गया।

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2026-27 में गया जिलान्तर्गत बांकेबाजार प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय-सह-आवासीय परिसर निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम- 1980 के तहत् 1.10 हेक्टेयर (2.72 एकड़) वन भूमि के अपयोजन के लिए पूर्व में आवंटित राशि ₹23,42,862/- (तेईस लाख बयालीस हजार आठ सौ बासठ) के अतिरिक्त वर्तमान में ₹13,62,665/- (तेरह लाख बासठ हजार छह सौ पैंसठ) रुपये मात्र के आवंटन के संबंध में।**

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-5519263 दिनांक- 28.04.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में गया जिलान्तर्गत बांकेबाजार प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय-सह-आवासीय परिसर निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम- 1980 के तहत् 1.10 हेक्टेयर (2.72 एकड़) वन भूमि के अपयोजन के लिए विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-1800497 दिनांक- 30.05.2023 द्वारा राशि ₹23,42,862/- (तेईस लाख बयालीस हजार आठ सौ बासठ) की पूर्व में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति को पुनरीक्षित करते हुए ₹37,05,527/- (सैंतीस लाख पांच हजार पांच सौ सत्ताइस)रुपये मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत राशि ₹37,05,527/- के विरुद्ध पूर्व में आवंटित राशि ₹23,42,862/- (तेईस लाख बयालीस हजार आठ सौ बासठ) के अतिरिक्त वर्तमान में ₹13,62,665/- (तेरह लाख बासठ हजार छह सौ पैंसठ) Bihar CAMPA के खाते में हस्तांतरण हेतु आवंटित की जाती है।

2. उक्त आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 में माँग संख्या-42, मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-103-ग्राम विकास, उप शीर्ष- 0102- प्रखंड लघु निर्माण कार्य, विपत्र कोड- 42-4515001030102, विषय शीर्ष-53-02 भू-अर्जन मद से विकलनीय होगा।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाहर्त्ता, गया होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जायेगी।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बेवसाईट- parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के खाते में Online mode द्वारा फंड ट्रांसफर किया जायेगा।

5. आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-5519263 दिनांक-28.04.2026 में निहित निर्देशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि से अधिक या गलत राशि की निकासी की सारी जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. आवंटित राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 वि0(2) दिनांक 17.04.1998/ वित्त विभाग के पत्र सं0-227 दिनांक 28.03.2025 तथा समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों का अक्षरश: एवं दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटित राशि की कोषागार से निकासी कर विभाग को सूचित करेंगे तथा व्यय के उपरांत DC विपत्र महालेखाकार को उपलब्ध करायेंगे।

विश्वासभाजन,

11.5.26

(मन्जु प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव

पत्रांक :- 5582258 दिनांक :- 12/05/26

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना /वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.5.26

सरकार के अपर सचिव

पत्रांक :- 5582258 दिनांक :- 12/05/26

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.5.26

सरकार के अपर सचिव

पत्रांक :- 5582258 दिनांक :- 12/05/26

प्रतिलिपि- आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/ उप विकास आयुक्त, गया / जिला कोषागार पदाधिकारी, गया/ प्रखंड विकास पदाधिकारी, बांकेबाजार (गया)/ अंचलाधिकारी, बांकेबाजार (गया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.5.26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 5582258 /ग्रा0वि0वि0, पटना, दिनांक- 12/05/26

प्रतिलिपि- मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग /बजट शाखा, ग्रामीण विकास विभाग/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित।

11.5.26

सरकार के अपर सचिव